XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णियाँ

राजस्व अपील वाद संख्या–133/2005

धारा 48(F) B.T. Act. अन्तर्गत

1. मो0 अलीम
2. मो0 जकीर
3. मो0 इसराफिल
4. डोमनी खातुन
5. कारी खातुन

सभी के पिता–स्व0 अनो नदाफ

6. सहजादी खातुन, पति–स्व0 सलीम

सा0–प्रियंकर, थाना–धमदाहा, जिला–पूर्णियाँ ———आवेदकगण

बनाम

मो0 मुर्शीद मियां, पिता–स्व0 सबदुल मियां, सा0–सुभाष चक, थाना–भवानीपुर, जिला–पूर्णियाँ ———विपक्षी

आदेश

आवेदकगण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा बटाईदारी वाद सं0– 31/03–04 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारंभ किया है। आवेदक का कथन है कि विपक्षी ने मौजा–बभन चक्का, थाना–भवानीपुर, खाता सं0–6, सिकमी खाता सं0 1 खेसरा सं0 60, रकवा 2 डि0, खेसरा सं0 66 रकवा 92 डि0, खेसरा सं0 67 रकवा 27½ डि0 जमीन पर बटाई हक के लिए गलत तथ्यों के आधार पर धारा 48(F) B.T. Act. अन्तर्गत वाद दायर किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता आवेदक को बिना मौका दिए हीं अंचल पदाधिकारी, धम ा की अध्यक्षता में समझौता बोर्ड का गठन कर वाद को समझौता बोर्ड में भेज दिया गया, जो नियमानुकूल नहीं है। समझौता बोर्ड दोनों पक्षों की ओर से पंच का नाम दिया गया। दिनांक 05.07.05 को दोनों पक्षों के पंच अनुपस्थित थे, फिर भी अध्यक्ष महोदय द्वारा वाद को आदेशार्थ रखा गया। तत्पश्चात पंचों को सुने बगैर आदेश पारित करते हुए वाद को निम्न न्यायालय में भेज दिया गया। बोर्ड का गठन भी वैधानिक रूप से नहीं हुआ था और बोर्ड द्वारा पंचों को सुने बिना ही प्रतिवेदित किया। यह पूर्ण रूप से गलत है और वैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन भी। पुनः निम्न न्यायालय द्वारा समझौता बोर्ड के प्रतिवेदन के आधार पर हीं विपक्षी को बटाईदार घोषित किया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियम के विरूद्ध है। अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि वाद की सुनवाई कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी के ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं की गई हैं।

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	दिनांक 02.08.2010 को उभय पक्षों की सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गयी। स्पष्ट निदेश एवं जानकारी के बाबजूद भी निर्धारित तिथि को विपक्षी द्वारा हाजरी देने के बाबजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित रहे। आवेदक का यह कहना है कि समझौता परिषद् का निर्णय त्रुटिपूर्ण रहा। चूँकि उनके साक्ष्य का परीक्षण नहीं हो सका। परन्तु विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा बिना सुने ही समझौता परिषद के आधार पर आदेश पारित किया गया, जो गलत है। पुनः दिनांक 04.03.2011 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गयी। सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है एवं निम्न न्यायालय द्वारा प्रकिया का पालन सही ढ़ंग से नहीं किया गया है। इसलिये निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज किया जाता है। इस निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता, पूर्णियाँ समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	